



-2026:AHC:56056

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के
अंतर्गत, क्रमांक - 1978/2026**

अनार सिंह और एक अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपरीत
पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	गीतम सिंह
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी ए

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री गीतम सिंह और राज्य के विद्वान एजीए श्री राधे श्याम की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन केस क्राइम नंबर 196/2017, धारा 386, 427, 506 आईपीसी, थाना सहवार, जिला कासगंज में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर कर संज्ञान आदेश और आरोपपत्र को चुनौती दी है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 23.4.2018 के आदेश द्वारा निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई की तारीख तक आवेदकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, उक्त स्थगन आदेश को आगे नहीं बढ़ाया गया है और आवेदकों को अपनी गिरफ्तारी का डर है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदकों को कभी भी कोई समन या जमानती वारंट तामील नहीं किया गया है और अब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। वे मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देते हैं और यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर आवेदन में आवेदकों को अंतरिम आदेश के रूप में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी और उक्त आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। आवेदकों को कभी भी कोई समन या जमानती वारंट तामील



नहीं किया गया और अब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तों की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ताओं अनार सिंह और वीरपाल सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेंगे;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उन्हें न्यायालय या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026



Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**